(25)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर कैम्प रीवा म०प्र०

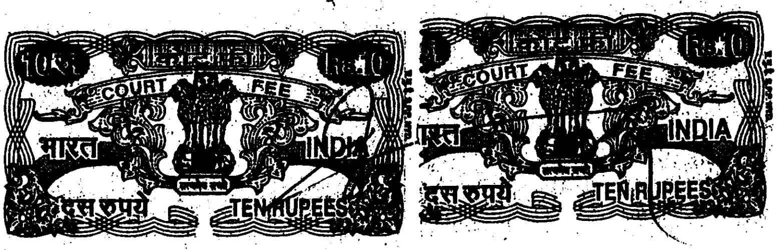

राम कृष्ण मिश्र तनय स्व० श्री शिव रतन राम मिश्र सा० सगरा तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र० ----- आवेदक

बनाम

1- सत्यनारायण तनय स्व० श्री रामस्वरूप गुप्ता (भुजवा) निवासी ग्राम सगरा तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र० ,

2- ददन प्रसाद मिश्र तनय स्व० श्री लोकनाथ मिश्र निवासी ग्राम सगरा तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र० ,

3- शासन म०प्र० ---- अनावेदक गण

R-1754-II/12

अधिवक्ता श्री [redacted] द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दि० 29.5.2012
29/5/12

निगरानी विरुद्ध आदेश न्याया० श्री मान कलेक्टर महो० रीवा बावत प्र० क्र० 27-अ6/निगरानी /011,-12, आदेश दि०- 27-3-1

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा० संहिता 1959 ई०,

5.6.12

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न है :---

यह कि आवेदक ने विवादित भूमि को अना० क्र० 1 से जरिये पंजीकृत दस्तावेज क्रय कर मौके मे कब्जा दखल व स्वामित्व प्राप्त किया तथा इस आधार पर इप्तदायी न्याया० मे नामान्तरण का आवेदन प्रस्तुत किया , जिसे ~~हेतु~~ व्यवहार न्याया० मे वाद लम्बित रहने के कारण निरस्त किया गया , किसी तरह का गुण - दोष के आधार पर निराकरण नही किया गया जिसके विरुद्ध विधान अधीनस्थ न्याया० के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी जिसे अंतिम निराकरण मानते हुए निगरानी प्रारंभिक बिन्दु पर ही निरस्त कर दी गयी जिससे व्यथित होकर आवेद क को यह निगरानी निम्न आधारो पर श्री मान के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.1754–III/12 जिला–रीवा

रामकृष्ण मिश्रा/सत्यनारायण गुप्ता वगैरः

(1)	(2)	(3)
02.02.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत 9 पेशियों से उपस्थित नहीं है। 3. अनावेदक क्र0 2 की ओर से श्री प्रवीण मिश्रा एडवोकेट उपस्थित उनके द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। 4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	